



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009  
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS  
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009  
दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275



सं./No. IA/I/1203/FA/Gen Corr

दिनांक/dt: 11.07.2023

सेवा में,

मुख्य कार्यालय के सभी व.ले.अ.  
प्रभारी अधिकारी, क्षेत्र.ले.का.(थलसेना), वैजाग।

ले.का., डी.जी.एन.पी., वैजाग  
सभी स्था.ले.प. अधिकारी

आं.ले.प.का. (एम.ई.एस), सिकंदराबाद एवं वैजाग।  
सभी ले.अ., जी.ई., सिकंदराबाद एवं वैजाग  
स.ले.अ., जी.ई., सूर्यलंका एवं यद्दुमैलारम  
Eddumailaram

सभी स.ले.अ., वी.एस.ओ., सिकंदराबाद एवं वैजाग  
सभी यू.ले., रक्षा संपदा कार्यालय, सिकंदराबाद एवं वैजाग  
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

To,

All SAOs in MO

Officer in Charge, AAO(Army),

Vizag,

AO DGNP, Vizag

All LAOs

RAO (MES) Sec'bad & Vizag

All AOs (GE), Sec'bad & Vizag

AAOs GE, Suryalanka &

All AAOs (BSO), Sec'bad & Vizag

All UAs DEO, Sec'bad & Vizag

All Sections in MO

विषय: तिमाही वित्तीय सलाह रिपोर्ट के प्रेषण के संबंध में।

Sub: Rendition of Qtly Financial Advice Report - Reg

संदर्भ: इस कार्यालय का दिनांक 17.07.2018 का समसंख्यक पत्र।

Ref: This Office Lr of even No. dt. 17.07.2018.

\*\*\*\*\*

कृपया इस कार्यालय के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि सामूहिक प्रयास किए जाएं और कार्यपालकों को दिए गए मूल्यवान वित्तीय सलाह की जानकारी दी जाए ताकि उन्हें तिमाही वित्तीय सलाह रिपोर्ट में शामिल किया जा सके।

Kindly refer this office letter of even No. cited above, where in it was requested to make concerted efforts and come out with valuable financial advice rendered to executives for inclusion in Qtly Financial advice report.

02. कार्यालय नियमावली भाग-2, जिल्द -1 के पैरा 660 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सलाह प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के बावजूद पिछली चार तिमाहियों से किसी भी वित्तीय सलाह की सूचना नहीं दी गई है। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है।

In spite of stressing the need to render financial advice in terms of para 660 of OM pt-II Vol-I, no financial advice is forthcoming since last 4 quarters. This is viewed seriously by the competent authority.




03. स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय सलाह के प्रकार्यों की जाँच एवं रोजमर्रा की लेखापरीक्षा करते समय अन्वेषण के लिए उपयुक्त वित्तीय सलाह की उपयोगी बिंदुओं को नोट करके आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को सूचित करने की जिम्मेदारी केवल स्थानीय लेखा परीक्षा/आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों की होगी। लेखापरीक्षा अनुभागों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्वेषण के लिए उपयुक्त वित्तीय सलाह के मामलों को आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग को सूचित करें।

It will be sole responsibility of LAOs/RAOs to take on in local audit the functions of financial advice and to furnish to IA section with such useful points which may come to their notice in their day-to-day audit and which merit for investigation for financial advice purpose. Audit sections are also responsible for bringing to the notice of IA Section, cases which merit investigation for the purpose of financial advice.

04. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश दिया गया है कि प्रत्येक तिमाही में वित्तीय सलाह की कम से कम दो मदें इस कार्यालय को सूचित की जाएँ जिन्हें कार्यपालकों द्वारा स्वीकार किया गया हो और जिसके परिणामस्वरूप फलहीन व्यय को वर्जित किया जा सका एवं सरकार के खर्च की बचत हुई।

In view of the aforesaid, the undersigned is directed by the competent authority to intimate that at least 2 items of financial advice per quarter, which were accepted by the executives and results in avoiding infructuous expenditure and saving to Govt. is required to be rendered to this office.

रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय के अनुमोदन के साथ जारी / This issue with the approval of CDA.



(एम. सुभाष कुमार)/(M.Subhash Kumar  
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (आ. ले. प)/Asst Controller (IA)